

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला अजमेर
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या- 29/2016

शोभा देवी पत्नी श्री भागीरथ शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम खरवा तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0।
.....प्रार्थिया

बनाम

राज0 सरकार जरीये तहसीलदार महोदय मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर।

..... अप्रार्थी

राजस्थान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम

श्री सलीम बाबू
वकील प्रार्थिया उप0

आदेश

दिनांक:-12.11.2016

प्रार्थिया ने इस प्रा0 पत्र मे सारांशत निवेदन किया है कि ग्राम सूरजपुरा पटवार क्षेत्र खरवा प्रथम तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित प्रश्नगत भूमि ख0न0 5994 रक्बा 4 बीघा उसकी खुदकाशत से खातेदारी की भूमिया है जिसमे पडौसी काशतकार अतिक्रमण करने की कोशीश करते है अतः पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है जिससे प्रार्थिया अपने खेत पर डोल पाल डाल सके। प्रा0 पत्र स्वीकार कर आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थी की और से काई जवाब पेश नही होने से हक बंद किये गये। बहस प्रा0 पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया प्रश्नगत आराजी मे खातेदार काशतकार है इसलिए प्रा0 पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण मे तहसीलदार मसूदा को 1000/- कोस्ट पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वह मौजा सूरजपुरा पटवार क्षेत्र खरवा पृथक स्थित आराजी ख0न0 5994 रक्बा 4 बीघा का जरिये माप एवं सीमांकन कर पत्थरगढी कर रिपोर्ट अन्दर मयाद 15 दिन मे प्रस्तुत करना सुनिश्चित करावे।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2016 को रा0लोक अदालत मे सरे इजलास सुनाया गया।



(सुरेश चावला)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

